राजस्थान सरकार
प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नावां कैम्प जयपुर
email:-gpc.nawa@rajasthan.gov.in

क्रमांक रापोनावा/स्था/2023 दिनांक 22.08.2023

विज्ञप्ति

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर के पत्र कमांक एफ–8 (1–ए) प्राशिनि/ई–1/सी–5/2022/6610 दिनांक 10.08.2023 एवं वित्त विभाग के परिपत्र कमांक प. 6(2) वित/सा.वि.ले.नी./2021 दिनांक 07.08.2023 की अनुपालना में विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए कम्प्यूटर, रसायन विज्ञान एंव गणित विषय हेतु गेस्ट फेकल्टी जो ए.आई.सी.टी.ई द्वारा निर्धारित योग्यता रखतें हैं के आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2023 दोपहर 12:00 बजे तक हार्ड कॉपी में आमंत्रित किये जाते है।

अभ्यार्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, नियमों, शर्तो एवं मानदेय हेतु संस्थान की वेबसाईट व संस्थान के नोटिस बोर्ड का अवलोकन कर सकते है। आवेदक सम्बन्धित निर्धारित योग्यता का अवलोकन करने के पश्चात् ही आवेदन करें।

① कम्प्यूटर –(02)
② रसायन विज्ञान –01
③ गणित – 01

प्रधानाचार्य

राजकीय पॉलिटेक्निक
महाविधालय, नावां, कैम्प
(जयपुर)

विद्या संबल योजनान्तर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित विषय.....................

फोटो मय हस्ताक्षर

1. आवेदक का पूर्ण नाम..
2. पद (सेवानिवृत होने पर)...
3. पिता का नाम...
4. माता का नाम...
5. जन्म दिनांक...
6. मोबाईल न. .... वाट्सएप न. ....
7. स्थायी पता ....
8. मेल आईडी..
9. शैक्षणिक योग्यता का विवरण –

क्र. सं.	कक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी	कुल प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत
1	10 वीं					
2	12 वीं					
3	स्नातक					
4	अधिस्नातक					
5	एम. फिल					
6	पीएच.डी.					
7	जेआरएफ सहित नेट					
8	नेट					
9	स्लेट या सैट					

उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित अंकतालिकाओं की प्रति एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें।

7. शोध प्रकाशन / शोधपरान्त अनुभव / पुरस्कार आदि का विवरण

i . शोध प्रकाशन का विवरण (सहकर्मी द्वारा समीक्षित या यूजीसी द्वारा सूचीबद्व जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र ही मान्य होगें) – लेखक / लेखकों का नाम, शोध पत्र का टाईटल, जर्नल का विवरण मय प्रकाशन तिथि की सूची एवं शोध पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करें।

ii . शिक्षण / पोस्ट डॉक्टरल अनुभव का विवरण मय प्रमाण

iii . पुरस्कारों का विवरण –

अ. अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण

ब. राज्य स्तरीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ

मैं शपथपूर्वक बयान करता /करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित सभी सूचनाए मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं यदि इन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंऊगा / होंऊगी।

शपथगृहिता के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

प्रारूप

शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... विभाग .... (संस्थान का नाम) में दिनांक .... को गैस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/ दे रही हूँ।

1. यह है कि मैने .... विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक .... के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया हैं तथा मैने विज्ञापन में वर्णित शर्तो को पढ व समझ लिया है तथा उन शर्तो की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।

2. यह है कि मैने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त साविलेनि 2021 दिनांक .... को अच्छे से पढ/समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समसत सूचनाएं पूर्णतया सत्य है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित है (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्रापत प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही है।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गेस्ट फेकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।

6. यह है कि मै कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मै इसका उल्लंघन करता हूँ/करती हूँ तो संस्था एक तरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मै इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फैकल्टी पर रखा गया है उस पद के स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गैस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमन्त्रित शिक्षकों को उनकी बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।

9. यह है कि मैने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और नही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गेस्ट फेकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा/रखूंगी तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा/होउंगी।

15. यह कि मुझे ज्ञात है कि चूंकि यह व्यवस्था प्रति कालांश मानदेय भुगतान पर अधारित है अतः शपथग्रहिता को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 01 से 15 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैने इनको भलिभांति पढ तथा समझ लिया है, मैने कुछ भी असत्य व्यक्ति नहीं किया है तथ न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तदायी रहूंगा/रहूंगी।

शपथग्रहिता

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांकःएफ–8(1–ए)प्राशिनि / ई–1 / सी–5 / 2020 / 9527 दिनांकः– 4/10/2021

प्रधानाचार्य / नोडल अधिकारी,
राजकीय सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
समस्त।

विषयः– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फेकल्टी आमन्त्रित करने हेतु।

संदर्भः– वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के क्रम लेख है कि तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबध मे दिशा–निर्देश निम्नानुसार होंगे :–

1. विभिन्न राजकीय सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा " विद्या संबल योजना" के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में बिन्दु संख्या 4(क) में वर्णित स्तर से बिन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन की जा सकेगी।
2. गेस्ट फेकल्टी की व्यवस्था प्रधानाचार्य / नोडल अधिकारी द्वारा की जा सकेगी।
3. संस्थान में कार्यरत प्रधानाचार्य सहित समस्त शैक्षणिक स्टाफ(कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक सहित यदि कोई है) को AICTE के मानदण्डानुसार शिक्षण भार का वितरण (10% अतिरिक्त सहित) किया जायेगा
4. वर्तमान में प्रभावी राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी एवं गैर अभियांत्रिकी) सेवा नियम–2017 में प्रवक्ता के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थियों / उक्त सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त शैक्षणिक अधिकारी को ही गेस्ट फेकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। निजी अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी।
5. अंग्रेजी विषय हेतु AICTE नियमानुसार योग्यता वाले अतिथि प्रवक्ता उपलब्ध नहीं होने पर प्रशासनिक विभाग के पत्र क्रमांक प. 8(14)त.शि. / 2006 दिनांक 15.03.2013 के अनुसार द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यताधारी से अतिथि प्रवक्ता की सेवाएं ली जायेगी।
6. जिन राजकीय सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कुछ विषयों के पद स्वीकृत नहीं है, उन विषयों हेतु उन्हीं विषयों के विषय विशेषज्ञ द्वारा अध्यापन कार्य उसी महाविद्यालय अथवा अन्य महाविद्यालय के अन्य विषय के स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध किया जायेगा।

7. कुछ महाविद्यालयों में एक मात्र स्वीकृत पद पर कार्यरत शिक्षक के किसी अन्य संस्थान / कार्यालय में कार्यव्यवस्थार्थ कार्यरत होने की स्थिति में गेस्ट फेकल्टी आमन्त्रित नहीं की जायेगी। परन्तु तकनीकी शिक्षा निदेशालय / विभाग के आदेश द्वारा किसी शिक्षक के किसी अन्य संस्थान / कार्यालय में नियमित कार्यव्यवस्थार्थ कार्यरत होने की स्थिति मे गेस्ट फेकल्टी आमन्त्रित किया जा सकेगा।

8. स्थानान्तरण / नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गेस्ट फेकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमन्त्रित शिक्षकों को उनकी बनायी गयी वरीयता सूचना में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।

9. विशेष परिस्थितियों में किसी महाविद्यालय को विषय विशेष में अध्यापन व्यवस्था हेतु विद्या संबल योजना में गेस्ट फेकल्टी की आवश्यकता होने पर निदेशालय से गेस्ट फेकल्टी की अनुमति हेतु मांग की जा सकेगी। महाविद्यालय द्वारा मांग प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से निर्णय लेकर गेस्ट फेकल्टी व्यवस्था लागू की जा सकेगी।

10. गेस्ट फेकल्टी पर आमन्त्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेंगे, इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौपा जाना है।

11. सेवानिवृत्त शिक्षक की स्थिति में अधिकतम आयु 65 वर्ष रहेगी।

12. मातृत्व अवकाश एवं चाइल्ड केयर लीव का उपभोग करने वाले प्रवक्ताओ का शैक्षणिक भार अन्य कार्यरत सम्बन्धित विषय प्रवक्ताओं द्वारा लिया जायेगा। विषय प्रवक्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शैक्षणिक कार्य विषय विशेषज्ञों द्वारा करवाया जा सकेगा।

13. विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति हस्ताक्षर सहित संस्थान में संधारित नहीं की जायेगी तथा न ही विषय विशेषज्ञों को किसी प्रकार का अनुभव / कार्यरत होने का प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

14. यह दिशा निर्देश मात्र वर्ष 2021–22 के बजट सत्र हेतु ही है।

15. गेस्ट फेकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :–

(A) वित्त विभाग के परिपत्र के बिन्दु संख्या 4(क) में वर्णित संस्था प्रधान, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आकलन करें। 15 अक्टूबर से पूर्व इस योजना हेतु पैनल बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर समाचार–पत्र में संक्षिप्त विज्ञप्ति, प्रैस नोट एवं सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा करनी है तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट पर विस्तृत दिशा निर्देश देकर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के संस्थावार आवेदन आंमत्रित किये जायेंगे। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो पुनः आवेदन हेतु कार्यवाही करें तथा इसकी सूचना विभाग को देवें।

(B) आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा निदेशालय द्वारा पात्रता के लिए निर्धारित एवं संसूचित दिशा निर्देश / शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधर पर पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा तैयार पैनल का निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु निदेशालय में संयुक्त निदेशक के स्तर पर गठित समिति द्वारा पैनल का परीक्षण किया जायेगा। निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् गेस्ट फेकल्टी के पैनल से वरीयत कम में उनकी उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा।

(C) प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासम्भव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।

(D) यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सत्र के लिये है तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा।

(E) इस योजना के तहत गेस्ट फेकल्टी पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित शपथ पत्र (परिपत्र के साथ संलग्न शपथ–पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।

(F) विभागाध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी मोनीटरिंग करेंगे तथा सम्पूर्ण रिकार्ड संधारित कर भुगतान हेतु प्रधानाचार्य को संतोषजनक अध्यापन के प्रमाण–पत्र के साथ अग्रेषित करेंगे।

(G) गेस्ट फेकल्टी के कार्य की संतोषंजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही प्रतिमाह भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(पी.सी. मकवाना)
निदेशक, तकनीकी शिक्षा

संलग्नः–

1.वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 30.03.2021
2.गेस्ट फेकल्टी से लिया जाने वाला शपथ–पत्र,
3.पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड

कमांक:एफ–8(1–ए)प्राशिनि / ई–1 / सी–5 / 2020 /　　　　दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर। कृपया निदेशालय के स्तर पर जारी उक्त दिशा–निर्देशों का प्रशासनिक विभाग के स्तर पर अनुमोदन कराने का श्रम करावें।
2. संयुक्त निदेशक (सी–1, सी–3 व ई–2), वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं सहायक निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा।

(डा0 सीताराम जलान्धरा)
संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त / साविलेनि / 2021

जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों / प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पडता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी / चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in
Order-circulars w.e.f.1.2.2021

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय / प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक / प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300 / –	21000 / –
ग्रेड–II	9 से 10	350 / –	25000 / –
ग्रेड–I	11 से 12	400 / –	30000 / –
अनुदेशक	—	300 / –	21000 / –
प्रयोगशाला सहायक	—	300 / –	21000 / –

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / तकनीकी महाविद्यालय / पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800 / –	45000 / –
सह आचार्य	1000 / –	52000 / –
आचार्य	1200 / –	60000 / –

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04/2021)

प्रारूप

<u>शपथ–पत्र</u>

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी...पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.......... ....विभाग...(संस्थान का नाम) में दिनांक...............को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं / दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने...............................विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक................को अच्छे से पढ़ / समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित / फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा / करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा / करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं / करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा / करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया हैं, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा / करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार / विभाग / संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों / निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा / करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं / करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य / सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना / तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी...पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री........... ....विभाग...(संस्थान का नाम) में दिनांक................को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं / दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने..............................विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक.................को अच्छे से पढ़ / समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित / फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा / करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा / करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं / करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा / करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा / करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार / विभाग / संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों / निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा / करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं / करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य / सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना / तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

विद्या सम्बल योजनान्तर्गत गेस्ट फेकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड

क. स.	शैक्षणिक योग्यता	निर्धारित अंक (स्कोर)		
1.	स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक=21	70 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत से कम=18	60 प्रतिशत से अधिक और 70 प्रतिशत से कम=16
2.	अधिस्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक=21	70 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत से कम=18	60 प्रतिशत से अधिक और 70 प्रतिशत से कम=16
3.	एम.फिल. (only for Physics, Chemistry, Mat hs, English)	60 प्रतिशत और उससे अधिक =07	55 प्रतिशत से अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम=05	
4.	पी.एच.डी.	25		
5.	जेआरएफ सहित नेट	10		
	नेट	05		
	स्लेट या सेट	05		
6.	शोध प्रकाशन (मुख्य लेखक के रूप में UGC/AICTE/Scopus सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 03 अंक	06 (अधिकतम)		
7.	शिक्षण/पोस्ट डाक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक)#	10 (अधिकतम)		
8.	पुरस्कार			
	अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर (अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार)	03		
	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार)	02		

तथापि यदि शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंको को अनुपाति रूप से घटा दिया जाएगा।

(क)

(i) एम.फिल/पी.एच.डी. अधिकतम – 25 अंक

(ii) जे.आर.एफ./नेट/सेट अधिकतम – 10 अंक

(iii) अवार्ड की श्रेणी में अधिकतम – 03 अंक

(पी.सी. मकवाना)
निदेशक, तकनीकी शिक्षा

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Group II)

No.1(2)DOP/A-II/10 Jaipur, Dated: 17-04-2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Technical Education (Engineering) Service Rules, 2010, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Technical Education (Engineering) Service (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 14.**- In the existing rule 14 of the Rajasthan Technical Education (Engineering) Service Rules, 2010 hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "Lecturer enumerated in the Schedule must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 37 years", shall be substituted by the expression "Lecturer/Librarian/PTI/Head of Department/Principal enumerated in the Schedule-I must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 37 years for the post of Lecturer/Librarian/PTI and 55 years for the post of Head of Department and Principal", shall be substituted.

3. **Substitution of rule 24.**- The existing rule 24 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

(2) The Commission shall not recommend a candidate who has not appeared in any paper of the written examination or interview."

5. Amendment of rule 40.- In rule 40 of the said rules,-

(i) the existing clause (ix) shall be renumbered as clause (x); and

(ii) after the existing clause (viii) and before the clause (x), so renumbered, the following new clause (ix shall be inserted, namely:-

"(ix) The Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales for Government Polytechnic College Teachers, Librarians and Physical Training Instructors) Rules, 2010, as amended from time to time; and"

6. Substitution of SCHEDULE.- The existing SCHEDULE appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"SCHEDULE – I

S. No.	Name of the post	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Director	100% by promotion	---	Principal/ Joint Director	3 years' experience on the posts mentioned	--

					in column number 5.	
2.	Principal/ Joint Director	100 % by direct recruitment	Qualifications as applicable for the post of Head of Department (mentioned in column 4 of S.No. 3) and Ph.D. in Engineering; and Minimum of 10 years' relevant experience in Teaching/ Research/ Industry out of which at least 3 years shall be at the level of Head of Department or equivalent. **or** Qualifications as applicable for the post of Head of Department (mentioned in column 4 of S.No.3); and Professional practice of 10 years as certified by the Council of Architecture.	----	-----	--
3.	Head of Department (Engineering/Architecture)/ Assistant Director	100 % by direct recruitment	Bachelor's and Master's Degree of appropriate branch in Engineering / Technology with First Class or equivalent either Bachelor's or Master's level: and Minimum of 10 year's relevant experience in Teaching/ Research/ Industry. **Note:** In case of Architecture Professional practice of 10 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid. **or** Bachelor's and Master's Degree of appropriate branch in Engineering/ Technology with First Class or equivalent either	----	----	--

			Bachelor's or Master's level and Ph.D. or equivalent, in appropriate discipline in Engineering/ Technology and; Minimum of 05 years' relevant experience in Teaching/ Research/ Industry. **Note:** In case of Architecture Professional practice of 5 years' as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.			
4	Lecturer/ Assistant Training and Placement Officer/ Academic Officer	100% by direct recruitment	Bachelor's Degree in Engineering/Technology in the relevant branch with First Class or equivalent. If the candidate has a Master's degree in Engineering/ Technology, First Class or equivalent is required at Bachelor's or Master's level. or First Class Master's Degree in appropriate subject with first class or equivalent at Bachelor's or Master's level for teaching posts in Humanities & Sciences	---	-	--
5	Librarian	100% by direct recruitment	(i) A Master's Degree in Library Science/ Information Science/ Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and a consistently good academic record with knowledge of	---	---	--

			computerization of library. (ii) Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. (iii) However, candidates, who are, or have been awarded Ph.D. degree in accordance with the "University Grant Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree). Regulations, 2009" shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/ SLET / SET.			
6	PTI	100% by direct recruitment	(i) A Master's degree in Physical Education or Master's Degree in Sports Science with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) with a consistently good academic record. (ii) Record of having represented the University/ College at the Inter-University/ Inter-Collegiate competitions or the State and/or National Championships. (iii) Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC (iv) Passed the physical fitness test conducted in accordance 4.6.4 of UGC Regulations, as	---	---	---

			amended time to time; and (v) However, candidates, who are, or have been awarded Ph.D. Degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D Degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/ SLET / SET.			

Note:

(1) Equivalence for Ph.D. is based on publication of 5 International Journal papers, each journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the author's area of specialization.

(2) Ph.D. shall be from a University established by law in India.

(3) In case of research experience, good academic record and books/research paper publications/IPR/patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the selection committee. If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to head of the department with active participation record in designing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating, training, technical

10/2

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Group II)

No.1(1)DOP/A-II/10 Jaipur, Dated: 7.02.2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Technical Education (Non-Engineering) Service Rules, 2010, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Technical Education (Non-Engineering) Service (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 6.- In rule 6 of the Rajasthan Technical Education (Non-Engineering) Service Rules, 2010, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) the existing sub-rule (1) shall be substituted by the following, namely:-

"(1) Recruitment to the post (s) included in the service shall be made by direct recruitment in accordance with procedure laid down in Part-IV of these rules."; and

14. Substitution of SCHEDULE.- The existing SCHEDULE appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"SCHEDULE - I

S.No.	Name of the post	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Principal	100% by direct recruitment	Qualifications as specified for the post of Head of Department (Mentioned in column 4 of S.No. 2) with Ph.D.; and Minimum 10 years' relevant experience in teaching/ research/ industry out of which at least 3 years shall be at the level of Head of Department or equivalent.	---
2.	Head of Department	100% by direct recruitment	Qualification specified for the post of lecturer along with Ph.D. or equivalent in appropriate discipline / subject. and Minimum 8 years' experience in teaching/ research / industry/ training at the level of lecturer or equivalent	---
3.	Lecturer (Textile-Designing)	100% by direct recruitment	Bachelor's Degree in Textile Technology/ Textile Chemistry/ B.Des. in appropriate discipline with First Class or equivalent, If a candidate has a Master's Degree, First Class or equivalent is required at Bachelor's or Master's level in relevant discipline. or First class M.Sc. in Fashion	---

Provided further that filling up of the vacancies in accordance with the normal procedure under this sub-rule shall not affect the reservation of posts as per the post based roster and vacancies on the reserved posts available in the roster may be filled in from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, for which such vacancy is available in subsequent years."

4. Substitution of rule 12.- The existing rule 12 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**12. Determination of vacancies.**-Subject to the provisions of these rules, the Appointing Authority shall determine on 1st April every year, the actual number of vacancies occurring during the financial year. The vacancies so determined shall be filled in by direct recruitment."

5. Amendment of rule 13.- In rule 13 of the said rules, for the existing expression "Lecturer enumerated in the Schedule must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 37 years", the expression "Lecturer/ Head of Department/Principal enumerated in the schedule-I must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 37 years for the post of Lecturer and 55 years for the post of Head of Department and Principal"

6. Substitution of rule 23.- The existing rule 23 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

			Technology/ Clothing / Garment Technology of a recognized University/ Institution.	
4.	Lecturer (Commercial Arts)	100% by direct recruitment	First Class Master's Degree in Fine Art (Applied Art/Design Art)	---
5.	Lecturer (Beauty Culture)	100% by direct recruitment	M.Sc.in Cosmetology/ Beauty Culture with First Class or equivalent from a recognized University/ Institution. or MBBS Degree with 55% or equivalent and Diploma in Skin/MD in Skin/DNB in Skin/ MS or DNB in Surgery with experience in Burn and Plastic Surgery /M. Ch. in Burn and Plastic Surgery.	---
6.	Lecturer (Costume Design & Dress Making)	100% by direct recruitment	Bachelor's Degree in Textile Technology/ Textile Chemistry/ B.Des. in appropriate discipline with First Class or equivalent, If a candidate has a Master's Degree, First Class or equivalent is required at Bachelor's or Master's level in relevant discipline. or First class M.Sc. in Fashion Technology/ Clothing / Garment Technology of a recognized University/ Institution.	---
7.	Lecturer (Interior Design/ Decoration)	100% by direct recruitment	Bachelor's Degree in Interior Design/ B. Arch./ B.Des. in relevant discipline with First Class or equivalent. If a candidate has a Master's Degree, first class or equivalent is required at Bachelor's or Master's level in relevant discipline.	---
8.	Lecturer (Modern	100% by direct	M.Com/ M.A. (Economics)/ MBA/ MMS with First class or	---

(ii) the existing sub-rule (2) shall be deleted.

3. Substitution of rule 7.- The existing rule 7 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**7. Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.-** (1) Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be in accordance with the provisions of law in force at the time of direct recruitment.

(2) In filling the vacancies so reserved the eligible candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list prepared for direct recruitment by the Commission or the Appointing Authority as the case may be.

(3) Appointment shall be made strictly in accordance with the roster prescribed separately for direct recruitment.

(4) In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates amongst the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, for direct recruitment, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward to the subsequent three recruitment years. After the expiry of three recruitment years, such carried forward vacancies shall be filled in accordance with the normal procedure:

Provided that if recruitment is not held in any recruitment year, such recruitment year shall not be counted for the purpose of this sub-rule.

	Office Management)	recruitment	equivalent with two years' experience in Field/ Industry/ Training. or B.Com./B.A./(Economics) and CA/CS/ICWA first class or equivalent.	

Note:

(1) Equivalence for Ph.D. is based on publication of 5 International Journal papers, each journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the author's area of specialization.

(2) Ph.D. shall be from a University established by law in India.

(3) In case of research experience, good academic record and books/research paper publications/IPR/patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the selection committee. If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to head of the department with active participation record in designing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating, training, technical books/research paper publications/IPR/patents etc. as deemed fit by the expert members of the selection committee.